न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–112 सन् 2018 ए

मोतीलाल सहनी वगैरह.....वादीगण।

बनाम

शैलेश सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 11.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 टुलू सिंह की मृत्यु दिनांक 23.05.2021 को अपनी विधवा पत्नी धेनुकी देवी वो पुत्र अतुल सिंह वो पुत्री अनामिका देवी वो गोल्डी कुमार को छोड़कर फौत कर गए हैं। मृत प्रतिवादी के उपरोक्त वारिसानके अलावा कोई अन्य वारिसान नहीं है। मृत प्रतिवादी का नाम अर्जीदावी के प्रतिवादी के खाने से कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित होना कानूनन आवश्यक है। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी प्रतिवादी सं0 02 टुलू सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि 02 टुलू सिंह की मृत्यु दिनांक 23.05.2021 को अपनी विधवा पत्नी धेनुकी देवी वो पुत्र अतुल सिंह वो पुत्री अनामिका देवी वो गोल्डी कुमार को छोड़कर फौत कर गए हैं। मृत प्रतिवादी के उपरोक्त वारिसानके अलावा कोई अन्य वारिसान नहीं है। मृत प्रतिवादी का नाम अर्जीदावी के प्रतिवादी के खाने से कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित होना कानूनन आवश्यक है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 02.02.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत 'बिहार सरकार' के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....को तामिला की प्रतिक्षा हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।